



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 26-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2014

दिनांक: 28 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (वै० एवं या०) को अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार निगम को आबण्डित/तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती का कार्यालय/स्थान/आबण्डित निगम
1	2	3	4
1.	श्री ज्ञान चन्द्र झा 86080, गोरखपुर, 31.12.2021	अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड उरई	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) कानपुर
2.	श्री विजय सलूजा 86057, लखनऊ 30.04.2022	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य लखनऊ	वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा लखनऊ
3.	श्री ब्रजेन्द्र शरण त्रिपाठी 86058, जालौन, 31.05.2020	अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड मैनपुरी	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ
4.	श्री राकेश कुमार 86156, अलीगढ़, 31.07.2020	अधिशासी अभियन्ता विद्युत निर्माण एवं कार्य खण्ड मुरादाबाद	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ
5.	श्री धनन्जय कुमार सिंह 86140, बिहार, 31.05.2020	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध विद्युत वितरण मण्डल गाजीपुर	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी

2. उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निवेशित याचिका संख्या ए-नम्बर-38372/2013 -अनूप चन्द्र एवं 5 अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं 34 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।

3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

4- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश दिनांक 01.03.2014 अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

5- आवांठित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

6- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

7- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

8- उपरोक्त अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उन्हें उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताक्रम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक
28/02/2014

प्रबन्ध निदेशक

पृष्ठ 2 का 1

संख्या: 26-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रांसमिशन का0लि0।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,
(प्रफुल्ल चन्द्र पन्त) 28/02/2014
उप सचिव